


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-03-05/2025 87 /पटना, दिनांक- 22-2-26

श्री अनिल कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य अंचल, मोतिहारी के द्वारा बिना पूर्वानुमति के अकारिम्क स्थिति में स्वयं के किडनी ट्रांसप्लांट की चिकित्सा राज्य से बाहर Max Super Speciality Hospital, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh में दिनांक 04.12.2024 से 31.12.2024 तक कराई गई है।

2. बिहार उपचार नियमावली के नियम-26 एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-946 (14) दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-5 के आलोक में उक्त कराये गये चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।




(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-03-05/2025

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-03-05/2025 1360

/पटना, दिनांक- 2-2-26

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/श्री अनिल कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, कार्य अंचल, मोतिहारी/अवर सचिव (बजट), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

(4)